

झारखण्ड विधान सभा



सत्यमेव जयते

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन)
(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

24 विधेयक ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018
2018 को सभा द्वारा पारित हुआ

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में प्रवृत्त करने हेतु ठेका मजदूर(विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के 69 वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :-

- (1) इस अधिनियम का नाम ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड में होगा।
- (3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. धारा-1 का संशोधन, 1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37 :-

ठेका मजदूर(विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37) की धारा-1के उपधारा (4) के वर्तमान प्रावधान को झारखण्ड राज्य में लागू करने के लिए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"(4) यह लागू होता है -

(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को जिसमें पचास या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं

या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को जो पचास या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती

बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित किए थे;

यह विधेयक ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 20 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 20 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

[सभा द्वारा पारित]

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

1. ठेका मजदूर विनियमन तथा उन्मूलन

(1) यह अधिनियम का नाम ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन)

अधिनियम, 2018 का होगा

(2) इसका विस्तार कर्णाल इलाक़ा में होगा।

(3) यह अधिनियम राज्य में अधिनियम प्रकृति में होने की शक्ति से प्रकृत होगा।

2. संशोधन का अर्थ, 1970 का संशोधन अधिनियम संख्या-37

यह अधिनियम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का संशोधन अधिनियम संख्या-37) की

धारा-10 (क) के अधिनियम प्रकृति में संशोधन करने के लिए संशोधित

अधिनियम के रूप में होगा।

(4) यह लागू होगा।

(क) ऐसे अधिनियम प्रकृति में होने की शक्ति के द्वारा संशोधित अधिनियम के रूप में अधिनियम है

या अधिनियम संशोधन के द्वारा संशोधित अधिनियम है।

(ख) ऐसे अधिनियम प्रकृति में होने की शक्ति के द्वारा अधिनियम प्रकृति में अधिनियम प्रकृति

धारा-10 (क) के अधिनियम प्रकृति में होगा।